तेलुगु का भाषाई सफर एवं इसकी प्रसार नीति

डॉ0 गोपाल कुमार, हिंदी अधिकारी, विश्वभारती

सार

तेलुगु प्राचीनकाल से प्रयोग में रही है। एक सीमित क्षेत्र से आरंभ होकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बनी है। इसके संवर्धन में कवि, लेखक, पत्रकार एवं अनेक संस्थाओं का योगदान रहा है। यह भारत की अष्टम सूची में दर्ज राजभाषा है। अत: सरकार द्वारा समय-समय पर इसके आधिकारिक प्रयोग के लिए नियम भी बनाए गए हैं। इस शोध-पत्र के माध्यम से तेलुगु के प्रचार-प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयास एवं नीति को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर लाने का प्रयास किया गया है। इसके माध्यम से इस भाषा के क्षेत्र में संभावनाएं को भी प्रकाश में लाया गया है। यह एक वर्णनात्मक शोध-पत्र है। इसके लिए जानकारी प्रामाणिक स्रोत, सरकारी दस्तावेज़ एवं अनुभवी विद्वजनों के माध्यम से जुटाई गई है। यह विद्यार्थियों, अध्यापकों, शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

बीज शब्द: तेलुगु, तेनुगु, आंध्र, त्रिलिंग, इटैलियन ऑफ द ईस्ट, शब्द बैंक

परिचय

भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, तेलुगु चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भारतीय भाषा है। प्राचीन काल से लेकर अब तक तेलुगु भाषा तीन नामों से संबोधित होती रही है- आंध्र, तेनुगु और तेलुगु। इन तीनों का प्रयोग देश, जाति और भाषा तीनों अर्थों में होता है।[1] तेलुगु भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लेखित राजभाषा है। यह वर्तमान में भारत के आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य की आधिकारिक भाषा है। पुडुचेरी के यमन, ओड़िशा के गंजाम तथा कर्नाटक में भी आधिकारिक क्षेत्रीय भाषा है। भाषाविदों के अनुसार, यह द्रविड़ भाषा से विकसित हुई है। इसने प्रचुर मात्रा में संस्कृत तथा प्राकृत की शब्दावली को आत्मसात किया है। तेलुगु भाषा को भारत सरकार द्वारा सन 2008 में सांस्कृतिक भाषा घोषित किया गया। तेनुगु का एक अर्थ शहद भी है। यह बहुत मधुर भाषा है। अत: इसे तेनुगु के नाम से भी प्रसिद्धि मिली। तेलुगु भाषा अपने सहज माधुर्य के लिए प्रसिद्ध है। साहित्यसेवी राजा कृष्णदेवराय ने घोषित किया कि देशी भाषाओं में 'तेलुगु' का माधुर्य स्तुत्य है। निक्कॉलो डे कॉन्टि नामक इतालवी यात्री ने इसे 'इटैलियन ऑफ दि ईस्ट' कहकर सम्मानित किया।[2] इस भाषा में प्राय: सभी ध्वनियों के लिए लिपि चिह्न पाए जाते हैं। यह स्वरांत अर्थात् 'अजंत' भाषा है। हिंदी व्यंजनांत या हलंत भाषा है। तेलुगु की स्वरांत भाषा होने की विशेषता संगीत के लिए बहुत उपयुक्त है। कर्नाटक संगीत में 90% शब्द तेलुगु के पाए जाते हैं।[3] तेलुगु आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की मुख्य भाषा होने के साथ-साथ कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अल्पसंख्यकों की भी भाषा है। "यह संयुक्त राष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया, युनाइटेड किंगडॉम, कनाडा, न्यूजीलैंड, म्यांमार, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब आदि देशों में भी प्रवासी तेलुगु भाषाभाषियों द्वारा बोली जाती है।"[4]

संक्षिप्त इतिहास

ऋग्वेदीय ऐतरेय ब्राह्मण में आंध्र शब्द का प्रयोग मिलता है। संस्कृत में तेलुगु शब्द का मूल रूप 'त्रिलिंग' है। त्रिलिंग का आशय श्रीशैल के मल्लिकार्जुन लिंग, कालेश्वर और द्राक्षाराम के शिवलिंग से है। इससे घिरा प्रदेश त्रिलिंग देश कहलाया। यहां की भाषा को त्रिलिंग (तेलुगु) कहा गया। गुणविजयादित्य के शिलालेख पर 'सन् दक्षिणा पथ स त्रिकलिंग देशमंवपालयत्' लिखा हुआ है। उच्चारण की सुगमता के लिए 'त्रिकलिंग' कालातंर में परिवर्तित होकर 'तेलुगु' हुआ।[5] तेलुगु शब्द का प्रयोग तेलुगु के आदि कवि नन्नय भट्ट के महाभारत में भी मिलता है। 'तेलुगु' शब्द की उत्पत्ति 'त्रिनग' शब्द से भी माना जाता है। इसका तात्पर्य तीन बड़े-बड़े पर्वतों की मध्य सीमा में व्याप्त इस प्रदेश से है।'[6] "आदि कवि नन्नय ने 'आंध्र' और 'तेनुगु' शब्द का प्रयोग किया है। तिकन्ना के काल में 'तेनुगु' और 'तेलुगु' दोनों शब्द प्रयुक्त होते थे। कृष्णदेवराय ने 'देशभाषालंदु तेलुगु लेस्स' (देशी भाषाओं में तेलुगु श्रेष्ठ है) कहकर तेलुगु शब्द को स्पष्ट रूप से भाषा के अर्थ में प्रयुक्त किया है।"[7] 'तेनुगु' शब्द की व्युत्पत्ति प्रोटो द्रविड़ शब्द 'तेन' (दक्षिण) से हुई है। इसका तात्पर्य संस्कृत एवं प्राकृत बोलने वालों दक्षिण/दक्षिणी दिशा में रहने वाले लोगों से है।[8] द्रविड़ भाषाओं में तेनुगु

का अर्थ 'तेन+अगु' (दक्षिण है जो) होता है।[9] "प्राचीन काल से लेकर अब तक तेलुगु भाषा 3 नामों से संबोधित होती रही है- आंध्र, तेनुगु और तेलुगु।"[10] रूसी भाषा वैज्ञानिक, मिखाईल एस. एंड्रोनोव के अनुसार, " तेलुगु 1500 और 1000 ई0 पू0 के बीच प्रोटो-द्रविड़ भाषा से अलग हुई।"[11] "अमरावती के संस्कृत में उत्कीर्णित एक 1 ई0 पू0 के शिलालेख में तेलुगु भाषा का 'नागाबु' शब्द पाया गया था।"[12]

रियासती हैदराबाद राज्य में, आंध्र महासभा की शुरुआत 1921 में तेलुगु भाषा, साहित्य, इसकी पुस्तकों और ऐतिहासिक शोध को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। इसका नेतृत्व मदपति हनुमंत राव (आंध्र महासभा के संस्थापक), कोमरराजू वेंकट लक्ष्मण राव (हैदराबाद राज्य में पुस्तकालय आंदोलन के प्रवर्तक), सुरवरम प्रतापरेड्डी और अन्य ने किया था।[13] 1930 के दशक से, जिसे तेलुगु भाषा का उत्कृष्ट साहित्यिक रूप माना जाता था, वह अब फिल्मों, टेलीविजन, रेडियो और समाचार पत्रों जैसे जनसंचार माध्यमों से आम लोगों तक पहुँच गया है। भाषा का यह रूप स्कूलों और कॉलेजों में मानक भाषा के रूप में भी पढ़ाया जाता है।[14]

तेलुगु राजभाषा नीति एवं वैधानिक व्यवस्था

आंध्र प्रदेश में तेलुगु राजभाषा के रूप में प्रयोग हेतु आंध्र प्रदेश राजभाषा अधिनियम[15],1966 पारित किया गया। तेलंगाना राज्य बनने के पश्चात, यह अधिनियम उस पर भी लागू होता है। यह 1966 की अधिनियम संख्या 9 है। इसके अनुसार - इस अधिनियम को आंध्रप्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1966 कहा जाएगा। अब इसे तेलंगाना राजभाषा अधिनियम भी कहा जाएगा। यह पूरे आंध्र प्रदेश राज्य में लागू होगा। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद यह अधिनियम सम्मिलित रूप से आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना दोनों पर लागू है। सरकार समय-समय पर अपने राज्य के गजट में अधिसूचना जारी करके विशेष प्रकार के शासकीय कार्य करने हेतु निर्देश दे सकती है। यह अधिसूचना में उल्लेख किए गए तारीख से प्रभावी होगा। वर्ष 1964 के आंध्र प्रदेश राज्य विधान मंडल (अंग्रेजी भाषा की निरंतरता) अधिनियम 16 को निरस्त किया गया।

तेलुगु का प्रयोग - (i) (क) राज्य के विधान मंडल में प्रस्तुत या संशोधित विधेयक तथा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियम, (ख) राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन प्रख्यापित सभी अध्यादेश एवं संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा 5 के अधीन बनाए गए सभी विनियम, (ii) संविधान या संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून या राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी आदेश, नियम, विनियम एवं उप विधियां, (iii) राज्य सरकार एवं सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या कंपनी या कार्यालय के बीच सभी पत्राचार एवं ऐसे निगम या कंपनी के आदेश, कार्यवाही, उप विधियां एवं विनियम; में होगा।

राजभाषा आयोग - राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के पाँच वर्ष पूर्ण होने के पश्चात, राज्य में राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। इसमें एक अध्यक्ष एवं चार अन्य सदस्य होंगे जिनमें से एक उर्दू भाषा में प्रवीण होंगे। उन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा एवं आयोग द्वारा प्रक्रिया के अनुपालन संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे। ऐसा इसलिए कि आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में उर्दू द्वितीय राजभाषा है। आयोग राज्य में शासकीय उद्देश्य से तेलुगु एवं उर्दू के प्रयोग की समीक्षा करेगा। यह राज्य सरकार को (क) राज्य में शासकीय उद्देश्य से तेलुगु एवं उर्दू का प्रगामी प्रयोग; (ख) राज्य में सभी या किसी शासकीय कार्य हेतु अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर प्रतिबंध; (ग) तेलुगु एवं उर्दू भाषा के संबंध में राज्य सरकार द्वारा आयोग को सौंपे गए कोई अन्य दायित्व की अनुशंसा करेगा। राज्य सरकार आयोग के प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए प्रतिवेदन के पूर्ण या आंशिक भाग के अनुसार, निर्देश जारी कर सकती है।

केंद्रीय या राज्य अधिनियम आदि का प्राधिकृत तेलुगु अनुवाद

राज्यपाल के प्राधिकार के अधीन निर्दिष्ट तारीख के बाद तेलुगु एवं उर्दू अनुवाद तेलंगाना गजट में प्रकाशित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित केंद्रीय अधिनियम या अध्यादेश, संविधान की सातवीं अनुसूची संख्या III में गिनाए गए मामले संबंधी, या राज्यपाल द्वारा बनाए गए राज्य अधिनियम या विनियम, या राज्य में लागू अन्य कानून; या राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी या संविधान के अधीन राज्य सरकार के अधिकारी, या केंद्रीय अधिनियम, या राज्य अधिनियम या राज्य में लागू अन्य कानून को (तेलुगु या उर्दू) अधिकारिक पाठ माना जाएगा। या किसी राज्य सरकार या अन्य कार्यालय के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन निगम या कंपनी द्वारा जारी आदेश, कार्यवाही, उपविधिया विनियम तथा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट

तिथि के साथ धारा 3 की उप धारा (2) के खंड (i) (ए) के तहत जारी की गई अधिसूचना में तेलुगु और उर्दू भाषा का प्रयोग सभी विधेयकों में किया जाएगा। और जहां संशोधनों को स्थानांतरित किया जाना है, तथा राज्य विधान मंडल द्वारा पारित अधिनियम, ऐसे सभी विधायकों के तेलुगु और उर्दू में आधिकारिक पाठ जो अधिनियम और संशोधन करते हैं एवं अंग्रेजी में हैं, राज्य विधानमंडल के किसी सदन में पेश किए जाने हैं या संशोधन किए जाने हैं; के साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध करवाया जाएगा।

तेलंगाना (विद्यालयों में तेलुगु की अनिवार्य शिक्षा) अधिनियम16, 2018

तेलंगाना राज्य में अनिवार्य तेलुगु शिक्षण एवं अधिगम संबंधी अधिनियम, वर्ष 2018 की अधिनियम संख्या 10, 30 मार्च 2018 को प्रकाशित किया गया। यह पूरे तेलंगाना राज्य में लागू होगा। यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख से प्रभावी होगा। इस अधिनियम के अनुसार

(1) शैक्षणिक वर्ष सरकार द्वारा अधिसूचित महीने के प्रथम दिन से आरंभ होगा। यह (क)

सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा संचालित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक/ मध्य विद्यालय एवं उच्च विद्यालय/ माध्यमिक विद्यालय/ उच्च माध्यमिक विद्यालय; या (ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) के तहत स्थापित और प्रशासित अल्पसंख्यक विद्यालय सहित किसी भी निजी शैक्षणिक एजेंसी द्वारा प्रशासित या अनुरक्षित कोई भी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक/ मध्य विद्यालय एवं उच्च विद्यालय/ माध्यमिक विद्यालय चाहे राज्य निधि से सहायता प्राप्त हो या ना हो; या (ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) के तहत स्थापित और प्रशासित अल्पसंख्यक स्कूल सहित कोई भी प्राथमिक स्कूल, मैट्रिकुलेशन स्कूल, एंग्लो इंडियन स्कूल या ओरिएंटल स्कूल चाहे राज्य निधि से सहायता प्राप्त हो या ना हो; या (घ) ऐसे स्कूल जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जा सकते हैं; यथा, (i) प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक, (ii) उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक, (iii) माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 10 या 6 से 10 या 9 तथा 10 तथा (iv) उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक, या कक्षा 6 से 12 तक या कक्षा 11 से 12 तक, के सभी विद्यालयों पर लागू होंगे।

2. शैक्षणिक वर्ष 2018-19 से अनुसूची में निर्दिष्ट चरणबद्ध तरीके से, सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक तेलुगु अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। सभी स्कूलों में अपनाए जाने वाले पाठ्यक्रम आदि अनुसूची में दिए गए निदेशानुसार होंगे। तेलंगाना राज्य में सीबीएसई या आईसीएसई या आईबी या कैंब्रिज बोर्ड से संबद्ध स्कूल अधिनियम में दिए गए अनुसार तेलुगु भाषा को लागू करेंगे। तेलुगु भाषा (क) स्कूल स्तर पर (i) कक्षा 1 से 10 तक अनिवार्य विषय; (ii) शैक्षणिक वर्ष 2018-19 सेप्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से तथा उच्च विद्यालय में कक्षा 6 से आरंभ किया जाएगा एवं अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार उत्तरोत्तर आगे की कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से सरकार द्वारा निर्धारित पाठ पुस्तक पढ़ाया जाएगा। सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रावधान से किसी भी वर्ग या श्रेणी के छात्र या छात्रों को कुछ शर्तों के अनुसार आंशिक या पूर्ण रूप से छूट दे सकती है।

3. सरकार, अधिसूचना द्वारा, शिक्षा विभाग के किसी भी अधिकारी को जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद से नीचे का न हो, सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है। इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए, सक्षम प्राधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है। सक्षम प्राधिकारी निर्धारित किए गए शक्तियों का प्रयोग एवं कार्य करेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया के 4 जून 2018 संस्करण के अनुसार - (i) सरकारी आदेशानुसार, तेलंगाना राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, तेलुगु भाषा की पाठ्यपुस्तक अंग्रेजी माध्यम में (राज्य पाठ्यक्रम से इतर) और अन्य माध्यम प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिनमें तेलुगु इस शैक्षणिक वर्ष से बढ़ाया जाएगा; के लिए पाठ्यपुस्तक तैयार करेगी। (ii) तेलंगाना से इतर राज्यों से आने वाले गैर तेलुगुभाषी विद्यार्थियों कोआठवीं या उससे ऊपर की कक्षाओं में प्रवेश पर तेलुगु से छूट दी जाएगी। उनके लिए कक्षा 8 से 10 तक तेलुगु अनिवार्य नहीं होगी; शर्त है कि उसने कक्षा 7 तक तेलुगु का अध्ययन न किया हो। (iii) स्कूल द्वारा नियम का पालन न करने पर उसे दंडित किया जाएगा। (iv) यदि निजी स्कूल (सहायता या गैर सहायता प्राप्त राज्य पाठ्यक्रम/सीबीएसई/ आईसीएसई/ आईबी आदि कोई भी पाठ्यक्रम) कक्षा एक से 10 तक किसी भी या सभी कक्षाओं के लिए तेलुगु के अनिवार्य शिक्षण को लागू नहीं करता है, तो प्रबंधन को नोटिसभेजा जाएगा।प्रबंधन को नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकारी को स्पष्टीकरण देना होगा।सरकारी आदेशानुसार, एक विशेष अवधि के अंदर यदि नियम के उल्लंघन को नहीं सुधारा जाता है तो पहली बार □50000

तथा दूसरी बार □100000 जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में शैक्षणिक वर्ष 2020 -21 से कक्षा एक से 6 तक, तेलुगु माध्यम की जगह अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने, तथा तेलुगु एवं उर्दू को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने का निर्णय लिया।।

आंध्र प्रदेश विधेयक[17] आंध्र प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2022 की विधेयक संख्या 8 में उल्लेखित विधेयक के अनुसार, उर्दू आंध्र प्रदेश के सभी जिलों में द्वितीय राजभाषा/ शासकीय भाषा होगी। ध्यातव्य है कि आंध्र प्रदेश राजभाषा अधिनियम,1966 (वर्ष 1966 के अधिनियम संख्या 9) के धारा 2 के अनुसार, प्रभावी तारीख 26 जनवरी, 1967 से, तेलुगु आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। वर्ष 2007 के अधिनियम संख्या 17 के तहत, सरकार ने उर्दू को इन जिलों में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया - अदिलाबाद, अनंतपुरम, चित्तूर,कद्दाफ, गुंटुर,हैदराबाद, करनूल,करीमनगर,महबूबनगर, मेदक, नेल्लौर, नालगोंडा, निजामाबाद, रंगारेड्डी और वारंगल। निष्कर्षत: अब तेलुगु और उर्दू पूरे प्रदेश की क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय राजभाषा है। द हिंदू, विशाखापट्टनम से दिनांक 21 अगस्त 2022 को प्रकाशित एक खबर के अनुसार - वर्तमान सरकार ने पिछले 3 वर्षों में तेलुगु भाषा के प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान दिया है। आंध्र प्रदेश तेलुगु अकादमी एवं आंध्र प्रदेश अधिकार भाषा संगम को पूर्व सरकार के द्वारा बंद करवा दिया गया था। उन्हें पुनः सक्रिय किया गया है। इन्होंने 'The centre of Excellence for studies in classical Telugu' को मैसूर से नेल्लौर स्थानांतरित किया है। आंध्र प्रदेश अधिकार भाषा प्राधिकार अभिवृद्धि संस्था ने सरकारी कार्यालयों में तेलुगु भाषा के कार्यान्वयन के अवलोकनार्थ संभाग से राज्य स्तर तक समीक्षा बैठक आयोजित करने के लिए कदम उठाए हैं। संचार में तेलुगु भाषा के प्रयोग एवं कार्यालय में विफलता की स्थिति से संबंधित विभागाध्यक्ष तथा संबंधित स्थापना/ कार्यालय अध्यक्ष को दंडित किया जाएगा। निरंतर कार्यान्वयन की विफलता के स्थिति में 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कानूनी प्रशासन में अन्य भाषाओं से आने वाले शब्दों के लिए तेलुगु में 'शब्द बैंक' बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी।

तेलुगु प्रचार-प्रसार हेतु संस्थाएं

1. आंध्र साहित्यिक परिषद काकिनाडा, 2. साहिती समिति रेपल्लै, 3. अखिल साहित्य कला विवर्धन, 4. आंध्र संसद, 5. नव्य साहित्य परिषद गुंटुर, 6. आंध्र सारस्वत परिषद, हैदराबाद, 7. तेलुगु सोसायटी ऑफ अमेरिका, युनिवर्सिटी ऑफ कैलिफॉर्निया – तेलुगु स्टडीज कोर्स, 8. सेंटर फॉर रिसर्च इन तेलुगु लैंग्वेज – अमरावती, आंध्र प्रदेश, 9. तेलुगु युनिवर्सिटी, 10. एडवरटाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 11. चेन्नै स्थित तेलुगु विद्यालय, 12. तेलुगु एसोसिएशन – थाइलैंड, 13. आकाशवाणी - हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, कडप्पा, 14. फिल्म, दूरदर्शन एवं इंटरनेट, 15. विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय, 16. तेलुगु अकादमी, 17. अंतरर्राष्ट्रीय तेलुगु संस्थान - यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 1975 में स्थापित किया गया। इसे हैदराबाद के प्रथम विश्व तेलुगु सम्मेलन में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। आगे चलकर इसे 1985 में पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगू विश्वविद्यालय में शामिल कर लिया गया तथा इसे अंतरराष्ट्रीय तेलुगु केंद्र नाम दिया गया। इस संस्थान में 3 विभाग हैं - समाज एवं संस्कृति विभाग, भाषा विभाग तथा प्रकाशन विभाग, तेलुगु अकादमी (1968) - इसका उद्देश्य तेलुगु का प्रयोग एवं विकास, इसका संरक्षण तथा तेलुगु को आधुनिक बनाना है। यह विद्यालय के पाठ पुस्तकों का मुद्रण भी करता है। हैदराबाद, बनारस एवं अन्य विश्वविद्यालयों में तेलुगु संकाय है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के तर्ज पर आंध्र प्रदेश में नए स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय मेंतेलुगु संकाय स्थापित किए गए हैं। मैसूर के केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के तेलुगु सांस्कृतिक विकास केंद्र को नेल्लोर स्थानांतरित किया गया है।

तेलुगु के प्रचार-प्रसार में पत्र-पत्रिकाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय है। कुछ पत्र-पत्रिकाएँ इस प्रकार हैं:

दैनिक समाचार पत्र - प्रजाशक्ति, विशालआंध्र, वार्ता, आंध्रभूमि, आंध्रप्रभा, इनाडु, आंध्रज्योति, साक्षी, सूर्या, नमस्ते तेलंगाना, मानम, माना तेलंगाना, नव तेलंगाना, आदाब हैदराबाद, जनम साक्षी, वी6 वेलुगु।

रविवासरीय पत्रिका - आंध्र ज्योति रविवार पत्रिका, इनाडु रविवार पत्रिका, सूर्य चित्र रविवार पत्रिका, नमस्ते तेलंगाना रविवार पत्रिका, प्रजा शक्ति रविवार पत्रिका, वी6 वेलुगुरविवार पत्रिका, साक्षी रविवार पत्रिका, वार्ता रविवार पत्रिका, सूर्या रविवार पत्रिका, नव तेलंगाना रविवार पत्रिका।

साप्ताहिक - कृष्णा, आंध्र प्रभा, आंध्र पत्रिका, आंध्रज्योति, गोलकुंडा पत्रिका, आंध्रजनता, आंध्रभूमि, विशालआंध्र, स्वाति, नव्य आंध्रज्योति, जलधि, इंडिया टुडे।

मासिक - भारती, सखी, उषा, वीणा, उदयिनी, जयंती, गृह लक्ष्मी, आंध्र महिला, गृह शोभा, चंपक, सरस सलिल।

तेलुगु भाषा के उन्नयन के प्रति समर्पित विद्वजनों को प्रोत्साहित करने एवं उनकी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए अनेक सम्मान एवं पुरस्कार दिए जाते हैं; यथा, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, सरस्वती सम्मान, कला रत्न, बाल साहित्य पुरस्कार इत्यादि। संस्कृति विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष साहिथि पुरस्कारम्, प्रतिभा पुरस्कारम् तथा विशिष्ट पुरस्कारम् प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ पुस्तक लेखन हेतु साहित्यिक पुरस्कार मुक्त छंद, पद्य काव्य, प्रगीत काव्य, बाल साहित्य, साहित्यिक आलोचना, लघुकथा, उपन्यास, नाटक तथा अनुवाद के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला लेखिका पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं।

निष्कर्ष:

तेलुगु ईसा पूर्व से ही भाषा के रूप में अस्तित्व में है। इसका प्रसार भारत के एक विशेष भूभाग तक सीमित न रहकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के राज्य सरकार के कार्यालयों में राजभाषा तेलुगु का अधिकाधिक प्रयोग होता है। इन राज्यों के शिक्षित लोग प्राय: सभी तेलुगु जानते हैं एवं तेलुगु में कार्य करते हैं। संयुक्त आंध्र प्रदेश (आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना) की सरकार तेलुगु के प्रयोग को लेकर बहुत गंभीर रही है। अत: कार्यालयीन कार्य में तेलुगु का प्रयोग प्रशंसनीय रहा है। तेलुगु को भारत सरकार द्वारा सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दिया गया है। अत: इसके प्रचार- प्रसार के लिए भारत सरकार एक बड़ी राशि अनुदान के रूप में देती है। साहित्य अकादमी, तेलुगु अकादमी, राज्य स्थित विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय पहले से इसके प्रचार -प्रसार में लगे हैं। राज्य सरकार के कार्मिकों के लिए तेलुगु में कार्यसाधक ज्ञान होना आवश्यक है। तेलुगु प्रदेश के तकनीकी क्षेत्रों में विशेषता प्राप्त बुद्धिजीवियों की इस समय विदेशों में काफी मांग है। साथ ही यह प्रदेश सोना, हीरा, मोती आदि बहुमूल्य रत्नों का व्यापारिक केंद्र रहा है। स्थानीय सरकार भी तेलुगु के प्रचार-प्रसार को लेकर गंभीरता दिखाती रही है। अतः इस क्षेत्र में रोजगार तथा व्यापार की भी भरपूर संभावनाएं हैं। इंटरनेट एवं कंप्यूटर संबंधी सुविधाओं की वृद्धि से इस क्षेत्र में समाचार पत्रों के प्रकाशन की नई संभावनाएं उजागर हुई है। यह भाषा संगीत के लिए बहुत उपयुक्त है। अत: संगीत उद्योग के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं।

संदर्भ सूची

1 अयाचित, हनुमच्छास्त्री, तेलुगु और उसका साहित्य, क्षेमचंद्र सुमन (सं),राजकमल प्रकाशन, प्रथम संस्करण, पृष्ठ 13

2 राव, एम. मल्लेश्वर (22 दिसंबर 2012) "ह्वेन फॉरेनर्स फेल इन लव विद तेलुगु लैंग्वेज", द हिंदु

3 अयाचित, हनुमच्छास्त्री, तेलुगु और उसका साहित्य, क्षेमचंद्र सुमन (सं),राजकमल प्रकाशन, प्रथम संस्करण, पृ. 17-18

4 ऊंक, गिजबर्ट,ग्लोबल इंडियन डायस्पोरास:एक्स्प्लोरिंग ट्राजेक्टरिज ऑफ माइग्रेशन एंड थ्योरी,एमस्टरडम यूनिवर्सिटी प्रेस, 2007, पृष्ठ 92-116 आइएसबीएन 978-90-5356-035-8

5 अयाचित, हनुमच्छास्त्री, तेलुगु और उसका साहित्य, क्षेमचंद्र सुमन (सं),राजकमल प्रकाशन, प्रथम संस्करण, पृ. 15

6 फूलदेव सहाय वर्मा (सं.), हिंदी विश्वकोश खंड 5,नागरी प्रचारिणी सभा, 1965, पृष्ठ 415

7 के. लक्ष्मी रंजनम (सं), तेलुगु साहित्य का इतिहास, हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद, 1987, पृष्ठ 8

8 कृष्णामूर्ति, भद्रीराजू, तेलुगु भाषा चरित्र, उस्मानिया विश्वविद्यालय,हैदराबाद, 1979, पृष्ठ 6-7

9 सीतारामय्या, के., तेलुगु साहित्य का इतिहास, सं. के. लक्ष्मी रंजनम, हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद, 1967, पृष्ठ 22

10 वही , पृष्ठ 21

11 कपूर, सुबोध, इंडियन एनसाइक्लोपीडिया खंड 1, जेनेसिस पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, 2002, पृष्ठ 2067

12 फौलो द पाथ ऑफ वेटूरि इन रिसर्च, द हिंदू, 1 सितंबर, 2015

13 सुनदार्य्या,पुक्कालापल्ली;चट्टोपाध्याय, हरिंद्रनाथ; तेलंगाना पीपल्स स्ट्रगल एंड इट्स लेसन्स,फाउंडेशन बुक्स,1972,पृ.12

14 कृष्णामूर्ति, भद्रीराजू; ग्वयन्न, जे पी एल; अ ग्रामर ऑफ मॉडर्न तेलुगु, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1985

15 Andhra Pradesh Official Language Act, 1966 (Act No. 9 of 1966)

16 The Telangana (Compulsory Teaching and Learning of Telugu in Schools) Act, 2018 (Act No. 10 of 2018)

17 Andhra Pradesh Bills Andhra Pradesh Legislative Assembly Bill No. 8 of 2022